

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे०एन०मथुरिया(आर०ए०एस०)

आर.सी.एम.एस 2010/00010

अपील संख्या 3/2010 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1- बंगाली पुत्र डालचंद जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

-----अपीलांट

बनाम

1- रामगोपाल पुत्र डालचंद जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम हाल आवाद मौहल्ला गोपालगढ़।

-----असल रेस्पो०

2- रतन प्रकाश(फौत) पुत्र डालचंद जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम हाल आवाद मौहल्ला गोपालगढ़।

2/1- मुकेश पुत्र रतन प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

2/2- सुमनेश पुत्र रतन प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

2/3- भुवनेश पुत्र रतन प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

2/4- लक्ष्मीनारायण पुत्र रतन प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

2/5- आशा पुत्री रतन प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

2/6- मूंज पुत्री रतन प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

----- रेस्पो०

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.9.2009
न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर मु० न०
151/2005 उनवानी रामगोपाल बनाम बंगाली

उपस्थिति :- वकील अपीलांट श्री सोनीराम शर्मा एड०

वकील रेसपो. श्री हनुमान प्रसाद गोयल एड०

निर्णय

दिनांक 05.01.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 82/0.12, 84/0.17, 89/0.15, 90/0.01, 91/0.20, 97/0.16, 277/0.18 किता 7 रकवा 99 एयर वाके ग्राम नगला परसुराम तह० व जिला भरतपुर एवं आराजी ख०न० 646/0.12, 647/0.19, 690/0.21 किता 3 रकवा 52 एयर वाके ग्राम इकरन तह० व जिला भरतपुर में स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थागण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।


दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधोनस्थ न्यायालय का आदेश बिना साक्ष्य पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया है। पक्षकारान को और जमीनें भी हैं जिसे दावे में शामिल नहीं किया गया है। पक्षकारान के बीच पहले से ही मनवट हो रहा है। लिमिटेशन के बिन्दु पर प्रकट किया कि न्यायालय के समय पर निर्णय पारित नहीं करने के कारण अपीलार्थी को निर्णय का ज्ञान नहीं हो सका था जिसके समर्थन में उसने बाकायदा शपथ पत्र भी पेश कर दिया था। अतः अपील स्वीकार की जाकर मैरिट के आधार पर वाद को निर्णित करने हेतु अधोनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

बचाव मे वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि विभिन्न न्यायालयों का यह स्पष्ट मत रहा है एवं विधिक प्रावधान भी यही है कि लिमिटेशन का बिन्दू पहले निर्णित किया जावे। अतः अपील मियाद के बिन्दू पर ही खारिज को जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील प्रत्यर्थी ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये

- 1- आर.आर.टी 2012(1) पेज न० 101
- 2- आर.आर.टी 2015(2) पेज न० 1089
- 3- आर.आर.डी 1989 पेज न० 284
- 4- आर.आर.टी 2012(1) पेज न० 569
- 5- आर.आर.डी 2011(1) पेज न० 614

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी का वाद विभाजन का था। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड के आधार पर विभाजन के आदेश दिये हैं। अपीलार्थी अपने कब्जे का बिन्दू कुरेजात के समय उठाने हेतु स्वतंत्र है। जहाँ तक अन्य जमीनों का प्रश्न है अपीलार्थी ने उसका कोई ब्यौरा पस्तुत नहीं किया है। अतः लिमिटेशन के साथ-साथ मैरिट पर भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य प्रकट नहीं होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।



राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 5.1.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

Web Copy - Not Official

डिकरी व सीगे अपील

(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D&1)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर

व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2010/00113

अपील संख्या 4/2010 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1- बंगाली पुत्र डालचंद जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

-----अपीलांट

बनाम

1- रामगोपाल पुत्र डालचंद जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम हाल आवाद मौहल्ला गोपालगढ़।

2- महेशचंद पुत्र राम गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

3- जानकी प्रसाद पुत्र राम गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

-----असल रेस्पो0

4- रतन प्रकाश(फौत) पुत्र डालचंद जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम हाल आवाद मौहल्ला गोपालगढ़।

4/1- मुकेश पुत्र रतन प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

4/2- सुमनेश पुत्र रतन प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

4/3- भुवनेश पुत्र रतन प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

4/4- लक्ष्मीनारायण पुत्र रतन प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

4/5- आशा पुत्री रतन प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

4/6- मज पुत्री रतन प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

5- प्रयाग देवी (मृतक)

5/1- सूर्यकांत पुत्र श्रीमति प्रयाग देवी जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

5/2- गजेद्र पुत्र सूर्यकांत जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

5/3- बबलू पुत्र सूर्यकांत जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

6- चन्द्रवती(मृतक) जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

6/1- धीरेन्द्र पुत्र चन्द्रवती बेवा बंगाली जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

6/2- निरोत्तम पुत्र चन्द्रवती बेवा बंगाली जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

6/3- रामवीर पुत्र चन्द्रवती बेवा बंगाली जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

- 6/4- मुन्नी पुत्रो चन्द्रवती बेवा बंगाली जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।
- 6/5- सन्तो पुत्रो चन्द्रवती बेवा बंगाली जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।
- 6/6- ओमवती पुत्रो चन्द्रवती बेवा बंगाली जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।
- 6/7- राजकुमारी पुत्रो चन्द्रवती बेवा बंगाली जाति ब्राह्मण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।
- 7- श्रीमति रामवती(फौत)
- 8- राजस्थान सरकार

-----तरतीवी रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.9.2009
न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर मु0 न0 152/2005
उनवानी रामगोपाल बनाम बंगाली

यह अपील5.....माह.....1.....सन्.....2018.....व हमारे ...श्री सोनीराम शर्मा एड0 मिनजानिब अपीलाण्ट व श्री हनुमान प्रसाद गोयल रैस्पोडेण्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि लिमिटेशन के साथ-साथ मैरिट पर भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य प्रकट नहीं होती है।

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....
...)रूपये.....

अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।

बाबत् मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....5.....माह.....1.....सन्.....
2018.....को जारी की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।